फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

किशोर बनाम खेउ वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र   मु.न.   139/2025

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03.10.2025	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर एड0 द्वारा पेश किया गया। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली दिनांक 25.09.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषे0 के अनुतोष पर बहस हेतु अधिवक्ता उपस्थित हुए, इस दौरान ही प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से अधिवक्ता श्री छोटेलाल मीना केविएट लेकर उपस्थित हुए। उभयपक्ष अधिवक्ता की अन्तरिम टी0आई0 पर बहस 26.09.2025 को सुनी गई। बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 941 एवं 942 में आगामी तारीख पेशी तक विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 26.11.2025 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	
3/11/25	प्रा०पत्र बाबत प्रा०पत्र विड्रो करने एवं नया प्रा०पत्र पेश की अनुमति बाबत पेश किये जाने पर पत्रावली तलब की गई, प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रा०पत्र 72 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	